UPBN240002012019

Warrant case/115/2019 (Delivered on 11-03-2026)

Presented on : 22-01-2019
Registered on : 22-01-2019
Decided on : 11-03-2026
Duration : 7 years, 1 months, 20 days

न्यायालयः:न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहसवान, जनपद-बदायूँ।

पीठासीन अधिकारीः:हरेन्द्र सिंह,(उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा),(J.O.Code.3676)

आपराधिक वाद संख्याः:115/2019

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन

1- सलीम पुत्र अन्ने,
2- हनीफ पुत्र अन्ने,
3- शोबी पुत्र हबीब,
4- फईम पुत्र हबीब,
निवासीगण ग्राम बाजपुर, थाना-सहसवान, जिला-बदायूँ।

.....अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध संख्या-272/2018
अंतर्गत धारा-323,324,504 भारतीय दण्ड संहिता।
अंतर्गत क्षेत्र थाना-सहसवान, जनपद-बदायूँ।

सहायक अभियोजन अधिकारी-श्री प्रदीप कुमार सिंघल
अभियुक्तगण विद्वान अधिवक्ताः श्री सुशील कुमार एडवोकेट

निर्णय

1- प्रस्तुत वाद में थाना पुलिस सहसवान जिला बदायूँ द्वारा **मुकदमा अपराध संख्या-272/2018 में** अभियुक्तगण **सलीम, हनीफ, शोबी व फईम** के विरूद्ध **धारा-323,324,504 भारतीय दण्ड संहिता** अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

2- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी द्वारा जुबानी सूचना इस आशय की दी गयी है कि मैं साबुद्दीन पुत्र इसरार थाना सहसवान जिला बदायूँ का रहने वाला हूँ घटना आज दिनांक 07.06.2018 समय करीब 13.00 बजे की है। मैं अपने गांव में था तभी मुल्जिमान सलीम, हनीफ पुत्रगण अन्ने, शोबी व फईम पुत्रगण हबीब निवासीगण ग्राम बाजपुर थाना सहसवान जिला बदायूँ आये और कहने लगे कि साले तू हमारी मास काटने की बहुत शिकायत करता है। तो मैंने गाली देने को मना किया तो उपरोक्त लोगों ने मुझे लाठी-डण्डों से मारापीटा जिससे मेरे चोटें आयीं हैं। रिपोर्ट को थाने आया हूँ। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

3- वादी मुकदमा की उक्त जुबानी सूचना के आधार पर थाना हाजा पर असंज्ञेय रिपोर्ट संख्या-186/2018 पंजीकृत हुई। विवेचक द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गयी, विवेचना में घटनास्थल का नक्शानजरी बनाया गया एवं वादी, चुटैल व गवाहान के बयानात अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये जाने,

चिकित्सीय आख्या प्राप्त होने के उपरान्त विवेचना संबंधी समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर विवेचक द्वारा मामले को तरमीम करते हुए मुकदमा अपराध संख्या-272/2018 में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा-323, 324, 504 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4- अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये। उन्होंने अपनी जमानतें कराईं। अभियुक्तगण को धारा-207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियेजन प्रपत्रों की नकलें दिये जाने के पश्चात् न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा-323, 324, 504 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

5- अभियोजन की ओर से **साक्षीगण साहबुद्दीन पुत्र इसरार को पी०डब्ल्यू०-1 के रूप में, इदरीश पुत्र नियाज अली को पी०डब्ल्यू०-2 के रूप में एवं शाकिर अली पुत्र अली हसन को पी०डब्ल्यू०-3 के रूप में** परीक्षित कराया गया है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों के औपचारिक निष्पादन को स्वीकार किया गया। जिसके आधार पर अभियोजन की ओर से अन्य किसी साक्षी को पेश नहीं किया गया।

6- अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दंण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया। जिसमें उन्होंने अभियोजन घटना को झूंठा बताया तथा सफाई साक्ष्य दिये जाने से इंकार किया।

7- अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अभियोजन अधिकारी के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया।

8- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि यद्यपि अभियोजन साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

9- विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियोजन की ओर से मात्र **तीन** साक्षी को परीक्षित कराया है एवं अभियोजन के केस को साबित करने के लिये साक्षियों की संख्या नहीं देखी जानी चाहिए, बल्कि परीक्षित साक्षी की साक्ष्य की गुणवत्ता को देखा जाना चाहिए। वर्तमान परिवेष में पीड़ित पक्ष ही अपना पक्ष रखने का साहस कर पाता है। ऐसी स्थिति में यदि एक ही साक्षी अभियोजन कथानक को साबित करने के लिये पर्याप्त है तो अन्य साक्षियों को परीक्षित कराने से मात्र तथ्यों का दोहराव ही होगा।

10- पी०डब्ल्यू०-1 साक्षी साहबुद्दीन पुत्र इसरार ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि दिनांक 07.06.2018 को करीब 01 बजे जब मैं अपने ग्राम में था तभी वहां मुल्जिमान सलीम, हनीफ, शोबी तथा फईम आए और मेरे साथ गाली गलौज करने लगे। मैंने मना किया तो मेरे साथ मारपीट हुयी। घटना के सम्बन्ध में मैंने थाने पर रिपोर्ट लिखवा दी थी। एफ०आई०आर० कागज संख्या-5क/1 ता 5क/3 पत्रावली पर संलग्न है।

प्रतिपरीक्षाः- उपरोक्त सभी मुल्जिमान हमारे पड़ोस के ही है। घटना वाले दिन इनके साथ केवल कहासुनी हो हुई थी। शोर शराबा होने पर आसपास के लोगों ने बीच-बचाव करवा दिया था। उपरोक्त मुल्जिमान ने मेरे साथ कोई मारपीट या गाली-गलौज नहीं किया था।

11- साक्षी से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह की गयी। दौरान जिरह साक्षी द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा-161 दण्ड प्रक्रिया संहिता से इंकार किया गया है।

12- **पी०डब्ल्यू०-2 साक्षी इदरीश पुत्र नियाज अली** ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि अब से करीब 6 साल पहले हमारे गांव के साबुद्दीन के साथ मुल्जिमान सलीम, हनीफ, शोबी, फईम के साथ कुछ कहासुनी हो गयी थी। शोर-शराबा सुनकर हम लोगों ने जाकर बीच बचाव करा दिया था। उपरोक्त मुल्जिमान ने मेरे सामने साबुद्दीन के साथ कोई मारपीट या गाली गलौच नहीं किया था। गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

13- साक्षी से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह की गयी। दौरान जिरह साक्षी द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा-161 दण्ड प्रक्रिया संहिता से इंकार किया गया है।

14- **पी०डब्ल्यू०-3 साक्षी शाकिर अली पुत्र हली हसन** ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि अब से करीब 7 साल पहले मेरे भतीजे साहबुद्दीन के साथ मुल्जिमान सलीम, हनीफ, शोबी तथा फहीम के साथ कहासुनी हो गयी थी। शोर शराबा सुनकर हम लोगों ने जाकर बीच-बचाव करा दिया था। मेरे सामने उपरोक्त मुल्जिमान ने साहबुद्दीन के साथ कोई मारपीट या गाली गलौच नहीं किया था। गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

15- साक्षी से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह की गयी। दौरान जिरह साक्षी द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा-161 दण्ड प्रक्रिया संहिता से इंकार किया गया है।

निष्कर्ष

16- प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी **पी०डब्ल्यू०-1 साहबुद्दीन पुत्र इसरार** जो कि वादी मुकदमा तथा जिसके साथ सम्पूर्ण घटनाक्रम घटित हुआ है; के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का अंशतः समर्थन किया गया है, परन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में अपनी मुख्य परीक्षा के बिल्कुल विपरीतार्थक कथन किया गया हैं तथा परीक्षित साक्षीगण **पी०डब्ल्यू०-2 इदरीश पुत्र नियाज अली व पी०डब्ल्यू०-3 शाकिर अली पुत्र अली हसन** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का कोई समर्थन नहीं किया गया है। अतः इन साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन घटना साबित नहीं होती है।

17- अतः उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण के आलोक में न्यायालय के मत में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित करने की घटना साबित नहीं होती है।

18- **The burden of proof is defined under Section 101 of the Indian Evidence Act:-** "Anyone who wants a court to rule on a legal right or responsibility based on facts he claims must first show that such facts exist. The second Section of the statute specifies that when a person is required to show the existence of a fact, that person shall also bear the burden of proof. As a result, a person seeking a favourable decision from the court must provide evidence in support of his case, according to this clause. The usual rule is that the party that asserts a truth bears the burden of proof, not the side that denies it.

19- In criminal trials, the prosecution bears the duty of establishing the defendant's guilt, and they must do it beyond a reasonable doubt. The plaintiff has the burden of proving his case by a majority of the evidence in civil cases. If the prosecution fails to prove the accused's guilt beyond a reasonable doubt, the accused is entitled to an acquittal.

20- यद्यपि अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक प्रमाणिकता को स्वीकार किया गया है, परंतु मात्र अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक प्रमाणिकता स्वीकार किये जाने मात्र से अभियोजन कथानक को अन्यथा साक्ष्य के अभाव में सिद्ध नहीं माना जा सकता है।

21- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी सुप्रसिद्ध विधिव्यवस्था **Nallapati Sivaiah V. Sub Divisional Officer, Guntur AIR.2008 SC 19."**

"The onus and duty to prove the case against the accused was upon the prosecution and the prosecution must establish the charge beyond reasonable doubt. It is also a cardinal principle of criminal jurisprudence that if there is a reasonable doubt with regard to the guilt of the accused is entitled to benefit of doubt resulting in acquittal of the accused.

18- उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस मत का है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया विफल रहा है और अभियुक्तगण लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

22- **मुकदमा अपराध संख्या-272/2018** में अभियुक्तगण **सलीम, हनीफ, शोबी व फईम** को **धारा-323, 324, 504 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं, उनके जमानतनामें व बंध पत्र निरस्त किये जाते हैं, जामिनदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

23- **प्रत्येक अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437-ए-(1) दंण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अंकन 25,000/- रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि का एक प्रतिभू** दाखिल करें, जो आगामी छह माह तक प्रभावी रहेगें।

दिनांक:11-03-2026

(हरेन्द्र सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहसवान, जनपद-बदायूँ।
(J.O.CODE. UP3676)

24- उपर्युक्त निर्णय, आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक:11-03-2026

(हरेन्द्र सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहसवान, जनपद-बदायूँ।
(J.O.CODE. UP3676)

Transcribed on :A.Ali.